संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक डी चतुर्थ तल, नवा रायपुर "अटल नगर, जिला-रायपुर

Comp. No.:373404 PROJ-01/29/2026-UADD SECTION/490337 नवा रायपुर, दिनांक 29/06/2026

//आदेश//

माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा दिनांक 11.08.2025 के परिपालन में नगर पालिका परिषद् सारंगढ़ जिला सारंगढ–बिलाईगढ़ को गार्डन निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 100.00 लाख की घोषणा की गई है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् सारंगढ़ के पत्र कमांक 4474 दिनांक 09.01.2026 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुक्रम में नगर पालिका परिषद् सारंगढ को वित्तीय वर्ष 2026–27 में अधोसंरचना मद अंतर्गत निम्नानुसार **01** कार्य हेतु राशि रू. **95.30 लाख (पंचयनबे लाख तीस हजार मात्र)** अनुदान की स्वीकृति अधोसंरचना मद अंतर्गत उल्लेखित शर्तो के अधीन एतद द्वारा प्रदान की जाती है:–

(राशि रू. लाख में)

क्र.	कार्य का विवरण	राशि (लाख में)
1	नगर पालिका सारंगढ में गार्डन निर्माण कार्य	95.30
	योग	**95.30**

शर्तेः– (01 – 10)

1. छ.ग. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 व छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 अंतर्गत (मेयर इनकौंसिल/प्रेसीडेन्टइनकौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य) नियम 1998 मेंउल्लेखित व समय–समय पर शासन/संचालनालय द्वारा जारी आदेश का पालन करते हुए **समस्त अनुषांगिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी** से प्राप्त किया जावे। अन्यथा आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी व्यक्तिगत जवाबदार होगे।
2. छ.ग. वर्क्स डिपार्टमेंट मेन्यूअल में दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्वक कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जावे। बिना सक्षम अनुमति के कोई भी सारवान परिवर्तन/विभक्तिीकरण नहीं किया जावे।
3. छ.ग.शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पत्र क. 5–56/2014/18 दिनांक 25.11.2019 में उल्लेखित समस्त नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए **उपरोक्त नवीन कार्य हेतु स्वच्छ निविदा आमंत्रित करने के पूर्व निविदा** प्रारूप का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जावे। अन्यथा आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
4. उपरोक्त कार्यो में सम्मिलित समस्त **नॉन एस ओ आर आइटम्स** कि निविदा/सामग्री कय के पूर्व **सक्षम तकनीकी अधिकारी** से तकनीकी स्वीकृति/तकनीकी स्पेसिफिकेशन व दर का विश्लेषण मय अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
5. स्वीकृत राशि के विरूद्ध जारी किस्त राशि का व्यय उपरांत पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यो का प्रमाणित फोटोग्राफ्स (हार्डकॉपी) के साथ निर्धारित प्रारूप में आगामी किस्त हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जावे। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व व कार्य पूर्णता पश्चात दोनो स्थितियों की चारों दिशाओं से जियोटैग्ड फोटोग्राफ्स लेकर नस्ती में संलग्न करे।
6. स्वीकृत कार्य हेतु आवंटित राशि से स्वीकृत कार्य ही किया जावे तथा स्वीकृत राशि में उपरोक्त समस्त कार्य पूर्ण करना होगा। पृथक से राशि जारी नही की जावेगी।

Scanned with CamScanner

7. स्वीकृत राशि का उपरोक्तानुसार वर्णित कार्यो के अलावा अन्य किसी भी कार्यो में उपयोग किया जाना वर्जित रहेगा। उल्लंघन की दशा में आयुक्त /मुख्य नगर पालिका अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
8. उपरोक्त वर्णित कार्य यदि पूर्व में किसी भी अन्य योजना/मद व पूर्व वित्तीय वर्ष में निर्मित/स्वीकृत या स्वीकृत हेतु प्रचलित पाए जाते हैं तो इस कार्य की स्वीकृति तत्काल शून्य मानी जावे तथा कार्य की पुनरावृत्ति होने पर इस हेतु निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/तकनीकी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
9. स्वीकृत कार्य निकाय के आधिपत्य भूमि पर ही निर्माण किया जावे। निजी भूमि/स्वामित्व संबंधी विवादित भूमि पर निर्माण कार्य न करवाया जावे। निजी कॉलोनी/निकाय को अहस्तांतरित कॉलोनी में निर्माण कार्य न करवाया जावें।
10. निविदा/कार्यादेश के पूर्व आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि भूमि में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उल्लंघन की दशा में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(मान.उप मुख्यमंत्री एवं भारसाधक मंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Himanshu Deshmukh
Date: 29-06-2026
15:08:35

कार्यपालन अभियंता (अनुदान)
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

Comp. No.: 373404 PROJ-01/29/2026-UADD SECTION

नवा रायपुर, दिनांक 29/06/2026

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 निज सचिव, मान. मंत्रीजी, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय अटल नगर जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2 सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय अटल नगर जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3 कलेक्टर, जिला – सारंगढ–बिलाईगढ़ (छ.ग.)।
4 मान. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् सारंगढ जिला– सारंगढ–बिलाईगढ़ ।
5 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् सारंगढ ।
6 संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास बिलासपुर।
7 डाटा सेंटर विभागीय साईट में प्रविष्टि तथा माननीय विभागीय मंत्री जी के ई–मेल आई डी पर प्रेषित किये जाने हेतु।

कार्यपालन अभियंता (अनुदान)
संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

Scanned with CamScanner